सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-249/2022 दिनांक- 03-अगस्त-2022

प्रेस विज्ञप्ति

थाना सिधारी,आजमगढ़

02 कुन्तल अवैध गांजा (कीमत लगभग 16 लाख रूपये) के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 03.08.2022 को प्रभारी निरीक्षक स्वतंत्र कुमार सिंह व उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह को सूचना मिली कि कुछ दिनों पूर्व ग्राम सलारपुर में राकेश यादव उर्फ सोनू के घर के अहाते में बरामद गांजा के अतिरिक्त बचा हुआ गांजा राकेश यादव उर्फ सोनू यादव द्वारा पिकप के माध्यम से अपने साथी अनिल यादव निवासी सुरसी के घर छिपाने हेतु भेजा गया है। इस सूचना से हमराही फोर्स को अवगत कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए ग्राम सुरसी पहुंच कर सड़क के किनारे बन रहे अनिल यादव के मकान के करीब पहुंचे वहां बन रहे मकान के मुख्य द्वार को खोलकर अन्दर पहुंचे तो मकान के अन्दर कमरे में दो व्यक्ति एक बोरे को पकड़कर किनारे रखते हुए दिखाई दिये। मौके पर पूर्व प्रदत्त सूचना पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री महेन्द्र कुमार शुक्ला भी उपस्थित आ गये। अभियुक्तगण को वहीं घेरकर पकड़ लिया गया। मौके से रखे बोरे के बारे में पूछा गया तो बताये कि साहब इसमें बण्डलों में जमा गांजा है जिसे हमारे व्यापार के साथी राकेश यादव उर्फ सोनू पुत्र मुंशी यादव निवासी सलारपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ने भेजा था पिकप उतार कर अभी अभी चली गयी । हम लोग उसी बोरे को सही से किनारे रख रहे थे। कि आप लोगों के द्वारा पकड़ लिये गये। मौके पर रखे बण्डलों को खोलकर देखा गया तो सभी में गांजा भरा हुआ है। बरामद गांजे का वजन किया गया तो अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 21 बण्डलों में 213.600 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। मौके पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री महेन्द्र कुमार शुक्ला की मौजूदगी में सभी बरामद गांजा के पैकटों को 6 प्लास्टिक की बोरियों में रखकर सील सर्वमुहर किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी समय 11.10 बजे ग्राम सुरसी में बन रहे अनिल यादव के मकान से की गयी।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तो ने बताया कि राकेश यादव उर्फ सोनू जो पहले से भी गांजा बेचने का धन्धा करता है उसी के साथ मिलकर हम लोग भी गांजे का व्यापार आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए करते हैं। साहब एक खेप गांजे का माल खपा देने से हम लोगों को पांच से दस लाख रूपये की बचत हो जाती है। यह सारा माल सोनू उर्फ राकेश यादव अपने साथियों के साथ उड़ीसा से लाता है कुछ माल अपने यहां रखता है और कुछ माल हमारे इस घर में रखते हैं इसका हमको अलग से रूपया मिलता है जब आप लोग उसके घर से गांजा बरामद किये थे तो वह मौके से भाग गया था। आज यह गांजा जिसे राकेश ने कहीं और छिपा कर रखा था उसे मेरे यहां पिकप से भेजा था ताकि सप्लाई करके रूपये प्राप्त हों और अपने साथियों की जमानत हो सके। हम लोग गांजे को धीरे धीरे करके यहां आस पास के जनपदों जैसे आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ में बेंचकर अपने आर्थिक भौतिक हितों की पूर्ति करते है ।

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0सं0- 300/22 धारा 8/20/22/25 एनडीपीएस एक्ट भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1.सुरेन्द्र यादव पुत्र स्व0 रामहित यादव निवासी सुरसी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 56 वर्ष
2.अनिल यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासी सुरसी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष

बरामदगी

1. 213.600 किलोग्राम अवैध गांजा (कीमत लगभग 16 लाख रूपये)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1.महेन्द्र कुमार शुक्ला क्षेत्राधिकारी नगर जनपद आजमगढ़ ।
2.प्र0नि0 स्वतंत्र कुमार सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
3.व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
4.उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
5.हे0कां0 रमेश सिंह यादव थाना सिधारी आजमगढ़
6.कां0 अभय सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
7.कां0 अशोक कुमार थाना सिधारी आजमगढ़
8.कां0 शैलेन्द्र यादव थाना सिधारी आजमगढ़
9.कां0 मनीष कुमार थाना सिधारी आजमगढ़
10.कां0 रोहित कुमार साहू थाना सिधारी आजमगढ़
11.कां0 दीवानचन्द थाना सिधारी आजमगढ़
12.कां0 बृजमोहन थाना सिधारी आजमगढ़
13म0कां0 निशा गुप्ता थाना सिधारी आजमगढ़